

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

सेवा में,

उप आबकारी आयुक्त, (आई0टी0)  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 714/जि0आब0अधि0-पिथौ0/23025-26 दिनांक मार्च 23, 2026

विषय :- वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-2513/सात लाई0-एस-48/आब0नीति/वर्ष 2025-26 दिनांक मार्च 11, 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025-26 (त्रिवर्षीय) के तहत जनपद अन्तर्गत अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों एवं नवसृजित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन अधिकतम आफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2026 एवं आक्युतालय से निर्गत विज्ञप्ति संख्या-25639/सात लाई0-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून दिनांक मार्च 16, 2026 की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्रों/विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय

  
23/03/2026  
जिला आबकारी अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पिथौरागढ़।**

**विज्ञापि**

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली, वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024-ई-80688/2025 देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22958/सात0लाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/ सा0निर्देश/व्यवस्थापन/देहरादून दिनांक 03.02.2026 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अव्यवस्थापित निम्न देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

क. सं.	दुकान का नाम	प्रकार	जनपद- पिथौरागढ़ वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों एवं देशी मदिरा दुकानों के राजस्व निर्धारण विवरण											
			वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु प्रतिभूति की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2028-27 हेतु कुल निर्धारित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	डीडीहाट	वि०म०	70915630	709000	70206630	10637345	5850553	73752255	738000	73014255	11062838	6084521	144667885	2893358
2	बुगाछीना	वि०म०	11415854	114000	11301854	1712378	941821	11872488	119000	11753488	1780873	979457	23288342	465767
3	जौरासी	वि०म०	7845872	78000	7767872	1176881	647323	8159707	82000	8077707	1223956	673142	16005579	320112
4	देवलथल	वि०म०	6201329	62000	6139329	930199	511611	6449382	64000	6385382	967407	532115	12650711	253014
5	डूनी/टिम्टा(नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300
6	खिरमाण्डे (नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300
7	खाकर (नवसृजित)	वि०म०	18500000	185000	18315000	2775000	1526250	19815000	198000	19617000	2972250	1634750	38315000	766300
8	तवाघाट (नवसृजित)	वि०म०	23000000	230000	22770000	3450000	1897500	24495000	245000	24250000	3674250	2020833	47495000	949900
9	जौलजीबी	दे०म०	2601000	26000	2575000	390150	214583	2653020	27000	2626020	397953	218835	5254020	105080
10	जाजरदेवल (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
11	बलुवाकोट (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11284584	113000	11171584	1692688	930965	21784584	435692
12	ओगला (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
13	सुवालेख (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
14	मुनस्यारी (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285022	113000	11172022	1692753	931002	21785022	435700
15	बनकोट (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700

*(Handwritten Signature)*  
23/03/26

16	उडियारीबैण्ड/चौकोड़ी(नवसृजित)	दे0म0	10400000	104000	10296000	1560000	858000	11183000	112000	11071000	1677450	922583	21583000	431660
17	तेजम (नवसृजित)	दे0म0	10100000	101000	9999000	1515000	833250	10877000	109000	10768000	1631550	897333	20977000	419540
18	बांसबगड़ (नवसृजित)	दे0म0	9397575	94000	9303575	1409636	775298	10168526	102000	10066526	1525279	838877	19566097	391322
योग :-			270377260	2703000	267674260	40556589	22306189	286764984	2870000	283894984	43014747	23657913	557142240	11142845

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ0डी0आर0 (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) अथवा [www.uk.nic.in](http://www.uk.nic.in) एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित विदेशी एवं देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा।

  
23/03/26

जिला आबकारी अधिकारी,  
पिथौरागढ़।